रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1983 (आषाढ़ 25, 1905)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1983 (ASADHA 25, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	511
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	973
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1141
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1513
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2911
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	313
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	12905
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	459
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	111
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2645
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	119
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	511
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	973
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1141
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1513
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2911
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	313
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	12905
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	459
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	111
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2645
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	119
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1983

सं० 45-प्रेज/83--राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रोखुमा (मरणोपरान्त)
हवलदार,
(बटालियन, एम० ए० पी०
एजल, मिजोरम)

श्री जलुटा,
कांस्टेबल,
(बटालियन, एम० ए० पी०,
एजल, मिजोरम)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

यह सूचना प्राप्त हुई कि एक एस० एम० 2 एल० टी० जलावमा और उसका दल पर्वतुई जंगल में टिका हुआ था तथा हिंसक कार्य कर रहा था और बन्दूक की नोक पर बलपूर्वक धन एकत्र करने के लिए लोगों को डराने धमकाने की योजना बना रहा था।

तदनुसार उपनिरीक्षक लुऐया सैलो के कमान में एम० ए० पी० दल एम० एस० 2 एल० टी० जलावमा और उसकी पार्टी को गिरफ्तार करने के लिए 1 अगस्त, 1982 को पर्वतुई क्षेत्र में भेजा गया। हवलदार रोखुमा और कांस्टेबल जलुटा दल के सदस्य थे। एम० ए० पी० दल 3 अगस्त, 1982 को पर्वतुई पहुंचा और क्षेत्र में उनकी छानबीन करने लगा। छानबीन अभियान के दौरान उनको सूचना मिली कि मिजो नेशनल फ्रंट के एस० एस० 2 एल० टी० और उसका दल पर्वतुई के निकट किसी संगतेया के झुम में शरण लिए हुए हैं। झुम घन जंगल में स्थित था। झुम में पहुंचना दल के लिए बहुत कठिन कार्य था। फिर भी एम० ए० पी० दल के सदस्यों ने साहस नहीं छोड़ा और अपने को संगठित करके 3 अगस्त, 1982 को रात में झुम के लिए रवाना हुए।

झुम पहुंचने के बाद एम० ए० पी० दल ने उस झोपड़ी को घेर लिया जिसमें एस० एस० 2 एल० टी० जलावमा और उसकी पार्टी ठहरी हुई थी। झुम को घेरने के बाद उप निरीक्षक लुऐया सैलो, हवलदार रोखुमा और कांस्टेबल जलुटा ने यह जानते हुए कि उनके जीवन को खतरा है उन्होंने मकान में घुसने का फैसला किया। हवलदार रोखुमा जिनके बिल्कुल पीछे कांस्टेबल जलुटा थे, ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और सबसे पहले झोपड़ी में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने मकान में प्रवेश किया मिजो नेशनल फ्रंट ने गोली चलाई तथा पहली गोली उनकी छाती में लगी। इस समय तक कांस्टेबल जलुटा कमरे के बिल्कुल अन्दर थे और मिजो नेशनल फ्रंट की भारी गोलाबारी की चपेट में आ चुके थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए हवलदार रोखुमा के साथ आगे बढ़ते रहे तथा उनकी सहायता की। हवलदार रोखुमा बुरी तरह घायल हो गए थे किन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और बहादुरी से गोली का जवाब गोली से देते रहे। चोट लगने के परिणाम स्वरूप एम० एस० 2 एल० टी० जलावमा मारा गया।

इसी दौरान उप-निरीक्षक लुऐया सैलो और कांस्टेबल जलुटा झुम के अन्दर पहुंच गए तथा एम० ए० पी० दल ने भी झुम को घेर लिया और एक तरफ से मिजो नेशनल फ्रंट पर गोली चलाई। दोनों दलों के बीच भारी गोलीबारी हुई। हवलदार रोखुमा के घायल होने का लाभ उठाते हुए मिजो नेशनल फ्रंट के शेष लोग रात्रि के अन्धेरे में भागने में सफल हो गए। कांस्टेबल जलुटा ने मिजो नेशनल फ्रंट के भागते हुए सदस्यों पर गोली चलाई और उनमें से कुछ को जख्मी कर दिया क्योंकि खून के निशान कुछ दूरी तक देखे जा सकते थे। छाती में गोली की चोट लगने के कारण हवलदार रोखुमा आधे घन्टे बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। हवलदार रोखुमा और कांस्टेबल जलुटा जिन्होंने दल के साथ जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, को मालूम था कि वे स्वयम् को खतरे में डाल रहे हैं। इस के बावजूद भी उन्होंने कर्त्तव्यपरायण में वीरता से काम लिया।

इस मुठभेड़ में श्री रोखुमा और श्री जलुटा ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 अगस्त, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 46-प्रेज/83—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वानलालछुआना,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला कार्यकारी बल,
एजल, मिजोरम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

जुलाई, 1982 में पुलिस उप-निरीक्षक वानलालछुआना को सूचना मिली कि सशस्त्र विरोधियों का एक दल माऊतुअल गांव में घुस चुका था और गांव में अपने सम्पर्क व्यक्तियों की सहायता से प्रतिबंधित संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के आर्थिक आधार को दृढ़ करने के लिए कर एकत्रित कर रहा था। मिजो नेशनल फ्रंट सरकार के विरुद्ध राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। एकत्र किया गया धन गांव के बाहर, पूर्व निर्धारित स्थान पर इन सम्पर्क व्यक्तियों द्वारा सौंपा जाना था। उन्होंने सशस्त्र पुलिस दल की सहायता के लिए अनुरोध किया और मिजो नेशनल फ्रंट के सीमों के बारे में जानने तथा उसका पता लगाने के लिए तुरन्त उपाय किए। इन सम्पर्क व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार किया गया और उनसे की गई पूछताछ के आधार पर उस विशेष झुम झोपड़ी का पता लगा लिया गया, जहां पर एकत्र की गई 20,000 रुपये की धनराशि मिजो नेशनल फ्रंट को सौंपी जानी थी। इस कार्य को पूरा करके उन्होंने पहल की और स्वयं पुलिस दल का नेतृत्व करते हुए उस स्थान तक पहुंच गए जहां मिजो नेशनल फ्रंट को आना था तथा धन एकत्र करना था।

मिजो नेशनल फ्रंट ने जिस स्थान पर शरण ले रखी थी वह गांव से लगभग 3/4 कि० मी० दूर घने जंगल में था। खतरे से निर्भीक श्री वानलालछुआना ने घटनास्थल तक पुलिस कर्मियों के एक छोटे दल का नेतृत्व किया। यद्यपि

वे इस बात को भलीभांति जानते थे कि सूचना देने वाले व्यक्ति की दोनों को भेद देने की पूरी-पूरी संभावना थी और इस प्रकार वे एक जाल में फंस सकते थे। श्री वानलालछुआना और उनका दल शाम को देर से घटना स्थल पर पहुंचा तथा उसने उस क्षेत्र की घेराबन्दी शुरू कर दी जिसमें शस्त्रों से पूरी तरह से लैस मिजो नेशनल फ्रंट ने शरण ले रखी थी। श्री वानलालछुआना अति गुप्त रूप से सभी महत्वपूर्ण बचकर भाग निकलने के स्थानों पर गए और अपने आदमियों द्वारा उन स्थानों पर मोर्चाबन्दी करा दी। इसके बाद श्री वान-लालछुआना स्वयं उठे और मिजो नेशनल फ्रंट को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी। यह महसूस करके कि पुलिस ने उस स्थान को घेर लिया है, मिजो नेशनल फ्रंट ने श्री वानलालछुआना पर तुरन्त गोली चला दी। श्री वानलालछुआना उस समय बिना किसी आड़ के खुले स्थान पर खड़े थे और गोलियां उनसे कुछ ही इंचों की दूरी से निकल गईं। गोलियों की इस अकस्मात बौछार से विचलित न होकर श्री वानलालछुआना ने अपने हथियार से गोली चलाई तथा अपने साथियों को गोली चलाने और बेहतर मोर्चे पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों तरफ से बराबर गोली-बारी होती रही किन्तु श्री वानलालछुआना ने पूर्ण रूप से कर्त्तव्यनिष्ठा के प्रति समर्पित और जीवन के खतरों के परिणामों से न डरते हुए नेतृत्व के गुणों का परिचय दिया तथा आक्रमण जारी रखने के लिए अपने साथियों को उत्साहित किया। गोलीबारी कुछ समय तक निरन्तर जारी रही जिसके दौरान श्री वानलालछुआना स्थान-स्थान पर जाते रहे और वहां तैनात अपने साथियों को उत्साहित करते रहे और मिजो नेशनल फ्रंट पर जवाबी गोलीबारी जारी रखी। श्री वानलालछुआना के लिए खतरा और भी बढ़ गया था क्योंकि अन्धेरा बहुत हो गया था तथा वे दोतरफा चलती हुई गोलीबारी में फंस सकते थे। परिणामस्वरूप पुलिस एक मिजो नेशनल फ्रंट को गोली से मारने और उसके हथियार बरामद करने में सफल हो गई। जैसे ही गोलीबारी शान्त हुई श्री वानलालछुआना उस स्थान पर पहुंचे जहां से मिजो नेशनल फ्रंट के व्यक्ति गोलीबारी कर रहे थे तथा फुरती से खोज की और शीघ्र ही महसूस किया कि मिजो नेशनल फ्रंट के एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी तथा अन्य एक गम्भीर रूप से जख्मी हो गया था। 14 रौंद सहित एक स्टेन्टा मृत विरोधी के पास से बरामद किया गया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री वानलाल-छुआना एक बार फिर कड़ी खोज में विरोधियों के पीछे निकले और यद्यपि मिजो नेशनल फ्रंट अन्धेरे की आड़ में भाग गए, तथापि उत्साही पुलिस ने विरोधियों के सम्पूर्ण दल को इतना हतोत्साहित किया कि जख्मी व्यक्ति नामतः एस/एस एसजीटी जोराम्हमगेहिया और एम/एम पीवीटी गोसियामा ने अपने नेता एम/एम एलटी वानेनालफिमा सहित कुछ दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया।

मुठभेड़ के दौरान पुलिस उप निरीक्षक श्री वानलालछुआना ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम है 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जुलाई, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 47-प्रेज/83—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री लुएया सेलो लुसाई,
पुलिस निरीक्षक,
(बटालियन एम० ए० पी०,
एजल, मिजोरम।)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 जुलाई, 1982 को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि शस्त्रों से लैस एम० एन० एफ०/ एम० एन० ए० के कुछ कार्मिक गांव सैयतुल में जबरन कर वसूली कर रहे हैं और सैयतुल में रह रहे पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के अपहरण/हत्या की योजना बना रहे हैं। उसी रात को निरीक्षक लुएया सैलो लुसाई के नेतृत्व में एम० ए० पी० का एक दल एम० एन० एफ०/ एम० एन० ए० के इन कार्मिकों को पकड़ने के लिए तत्काल सैयतुल भेजा गया। सैयतुल पहुंचने पर एम० ए० पी० दल ने योजना बनाने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट की।

17 जुलाई 1982 को शाम को जब पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और निरीक्षक लुएया सैलो लुसाई अपने स्टाफ के साथ गांव सैयतुल में गश्त लगा रहे थे, तो उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए श्री लालथीना नामक एक व्यक्ति को पकड़ा। दल ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछ-ताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। पूछताछ करने पर श्री लालथीना से पता चला कि सैयतुल गांव के वी० सी० पी० और अध्यक्ष वी० सी० को सैयतुल ग्रामवासियों से जबरन लिए गए कर/धन को उस शाम को एम० एन० एफ० एम० एन० ए० को सौंपा जाना है।

प्रभारी अधिकारी और श्री लुएया सैलो लुसाई जोसनायक बिआकनुनसंगा, लांसनायक लालडगलियना, कांस्टेबल सं० 245 वनललावेमा, कांस्टेबल सं० 626 ओकछ्यंगा, कांस्टेबल सं० 276 गोपाल प्रसाद यादव और कांस्टेबल सं० 615 लाल बहादुर क्षेत्री पुलिस स्टेशन के कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ वी० सी० पी० और अध्यक्ष वी० सी० के पास गए और उन्हें उस स्थल के पास ले गए जहां पर उन्हें एम० एन० एफ०/एम० एन० ए० को धन सौंपना था।

वी० सी० पी० और वी० सी० अध्यक्ष, पुलिस दल को सैयतुल गांव से 3 किलोमीटर दूर लिंका सड़क पर ले गए। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस दल ने देखा कि एम० एन० एफ०/ एम० एन० ए० के तीन कार्मिक वर्दी में शस्त्रों से लैस होकर खड़े हैं। एम० एन० एफ०/एम० एन० ए० के ये तीन कार्मिक बेहतर स्थिति में थे क्योंकि वे ऊंचे स्थान पर खड़े थे, इसलिए गोलीबारी से पुलिस दल को अधिकतम हानि पहुंचा सकते थे।

जिस स्थान पर ये विरोधी खड़े थे, वह स्थान अन्धेरे में था और प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण उस तक पहुंचा नहीं जा सकता था। इस बात की पूरी जानकारी होते हुए कि पुलिस दल खतरे में है और उस पर गोलीबारी हो सकती है, फिर भी निरीक्षक लुएया सैलो लुसाई ने साहस नहीं छोड़ा और सभी प्रा-कृतिक कठिनाइयों को पार करते हुए विरोधियों की तरफ चुपचाप बढ़ने के लिए अपने दल को उत्साहित किया। श्री लुएया सैलो लुसाई से अपने जीवन की परवाह न करते हुए सामने से दल का नेतृत्व किया और जहां विरोधी खड़े थे, उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही विरोधियों ने पुलिस दल के आगे चल रहे निरीक्षक लुएया सैलो लूसाई को देखा उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। एम० ए० पी० पुलिस पार्टी ने भी विरोधियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के जवाब में आत्मरक्षा में गोली चलायी। इस मुठभेड़ के परिणामस्वरूप एक विरोधी गोली से मारा गया, जिसके शव की बाद में एम० एस० प्रा० लाल-थनकिमा के रूप में शिनाख्त की गई। घटनास्थल पर विरोधी के शव के पास से एक स्टेन्टा, 14 राउन्ड गोलियां, एक मैगनीज और चलाई गई गोलियों के तीन खाली खोल बरामद किए गए। मुठभेड़ में दो अन्य विरोधी भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गए और वे अन्धेरे की आड़ में घने जंगल में भागने में सफल हो गए। कुछ दूरी तक खून के धब्बे भी दिखायी दिए थे।

विरोधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान, श्री लुएया सैलो लुसाई, निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, नेतृत्व, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परि-चय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 जुलाई, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 48-प्रेज/83—राष्ट्रपति केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रविन्द्र कुमार,
सुरक्षा गार्ड सं० 8005247,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एकक,
बोकारो स्टील लिमिटेड,
बोकारो स्टील सिटी।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री रविन्द्र कुमार, सुरक्षा गार्ड सं० 8005247 को 1/2 फरवरी, 1982 की रात को 21.30 बजे से 05.30 बजे तक इलैक्ट्रिक उप भंडार (निर्माण) कोक ओवन्स पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात किया गया था। उप भण्डार संयंत्र क्षेत्र में एक अलग स्थान पर स्थित है। संयंत्र क्षेत्र में रोशनी का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं था। श्री रविन्द्र कुमार के पास केवल एक लाठी थी।

लगभग 0100 बजे श्री रविन्द्र कुमार ने देखा कि खतरनाक हथियारों से लस कुछ अपराधी विद्युत उप-भण्डार की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें ललकारा और अपराध करने की उनकी चेष्टा को विफल करने के उद्देश्य से उन्हें रोका। अपराधियों ने श्री रविन्द्र कुमार को गम्भीर परिणामों की धमकी दी और उनके ऊपर एसिड बम फेंका। बम उनके कन्धे से टकराया और विस्फोट से जलने के कारण उनको गम्भीर जख्म आए। वे सहायता के लिए चिल्लाते हुए अपराधियों का पीछा करते एरिया रिपेयर शाप की तरफ भागे जिससे अपराधियों को किसी सम्पत्ति को चुराए बिना भागना पड़ा, हालांकि उनकी संख्या काफी थी। सहायता के लिए चिल्लाते हुए उन्होंने अपराधियों का पीछा किया और उनमें से एक पर लाठी से प्रहार भी किया।

इस प्रकार श्री रविन्द्र कुमार, सुरक्षा गार्ड ने उत्साह, कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 फरवरी, 1982 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 1983

संकल्प

सं० 20 (6)/83-रसायन-III--भारत सरकार को सोडा ऐश के निर्माताओं और उपभोक्ताओं से सोडा ऐश की क्षमता, उत्पादन, आयात, वितरण और मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। समस्याओं का अध्ययन करने और उपयुक्त निर्णय/सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने अब एक उच्चाधिकार समिति का निम्न प्रकार गठन करने का संकल्प किया है :—

गठन

1. श्री रामचन्द्रन रथ, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, नई दिल्ली। . . . अध्यक्ष
2. श्री डी० एस० सेठ, अध्यक्ष, टाटा कैमिकल्स लि० बम्बई . . . सदस्य
3. श्री ओ० पी० पुरसमल्का, सहअध्यक्ष, सौराष्ट्र कैमिकल्स, पोरबन्दर, गुजरात . . . ,,
4. श्री ए० सी० मुथिया, अध्यक्ष, टूटीकोरिन एलकली कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स टूटीकोरिन, तमिलनाडु . . . सदस्य
5. श्री बी० के० गुप्ता, अध्यक्ष, आल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स फैडरेशन, नई दिल्ली। . . . ,,
6. श्री एस० एस० सिघानिया, अध्यक्ष, आल इंडिया सिलिकेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, कलकत्ता। . . . ,,
7. श्री एम० एन० दास, महासचिव, आल इंडिया सामरमैन्स फैडरेशन नई दिल्ली। . . . ,,
8. श्री एस० रामानाथन सचिव, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय, नई दिल्ली। . . . ,,
9. डा० ए० के० घोष, अध्यक्ष, ब्यूरो आफ इन्डस्ट्रीयल कोस्ट एण्ड प्राइस, नई दिल्ली। . . . ,,
10. श्री के० वी० रामनाथन, सचिव, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली। . . . ,,
11. श्री सी० के० स्वामीनाथन, सदस्य (ट्रैफिक), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली। . . . ,,
12. श्री एम० सत्यपाल, सचिव, (तकनीकी विकास) और तकनीकी विकास के महानिदेशक, नई दिल्ली। . . .
13. श्री जी० एस० साहनी, अध्यक्ष, सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एण्ड कस्टम, वित्त मन्त्रालय (रेवेन्यू विभाग), नई दिल्ली। . . . ,,
14. श्री पी० सी० जैन, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली। . . . ,,
15. श्री एम० एम० डुगर, सदस्य, कम्पनी ला बोर्ड विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) नई दिल्ली। . . . ,,

16. श्री प्रताप नारायण, . . . सदस्य
कार्यकारी निदेशक
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
नई दिल्ली

17. श्री श्यामल घोष, ... सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव
(रसायन और प्रशासन)
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
नई दिल्ली।

2. उच्चाधिकारी समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(I) सोडा ऐश के सम्बन्ध में स्वदेशी, मांग, लाइसेंसीकृत/अनुमोदित क्षमताओं, अनुमोदित क्षमताओं के विस्तार के कार्यान्वयन की स्थिति और पूर्ण विस्तार क्षमताओं का कार्यान्वयन न करने के कारणों, यदि कोई है, की गहराई से जांच करना और इन सभी मामलों पर उचित सिफारिशें करना,

(II) सोडा ऐश के स्वदेशी उत्पादन के वर्तमान स्तर और बाधाओं की गहराई से जांच करना और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करना,

(III) सोडा ऐश के विपणन और वितरण कार्य और इसकी दक्षता की बारीकी से जांच करना तथा उपभोक्ताओं, विशेषकर धोबियों जैसे छोटे-छोटे उपभोक्ताओं को इसकी आसान उपलब्धता के लिए उचित उपायों की सिफारिश करना,

(IV) आयात नीति और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य शुल्कों और उप शुल्कों जैसे शुल्क ढांचे के प्रश्न का अध्ययन करना और उन पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना,

(V) स्वदेशी रूप से निर्मित सोडा ऐश की लागत और मूल्य ढांचे की विस्तार से जांच करना और इसकी आसान उपलब्धता और उचित मूल्य के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयातित सोडा ऐश के मूल्य ढांचे सहित उसके मूल्य निर्धारित करना,

(VI) समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों के आधार पर सोडा ऐश के औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं के प्रमुख उत्पादों की लागत और मूल्य ढांचे की विस्तार से जांच करना,

(VII) अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाने वाला अन्य कोई मामला।

3. उच्चाधिकार समिति, समिति के कार्यकरण की पद्धति और तरीका निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

4. समिति यदि आवश्यक समझे तो अध्यक्ष की अनुमति से विख्यात व्यक्तियों/विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है।

5. समिति से अपेक्षा/प्रत्याशा है कि वह उसको सौंपे गए कार्य को पूरा करेगी और समिति की प्रथम बैठक से तीन माह की अवधि के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा किन्तु अध्यक्ष के विवेकानुसार समिति देश के किसी भी स्थान पर/में ऐसी बैठकें और दौरे कर सकती है।

7. समिति द्वारा सहयोजित विशेषज्ञों को सरकार के निर्णय के अनुसार उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

8. समिति के सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उनके सम्बद्ध संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा जबकि गैर-सरकारी सदस्यों के भत्तों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों पर लागू मानक शर्तों के आधार पर वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को प्रेषित की जाये।

एस० रामानाथन
सचिव

कृषि मन्त्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1983

संकल्प

सं० 9-2181-फसल प्रशासन-1—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 48012/7/76 फ० प्र०-1 दिनांक 19 नवम्बर, 1977 द्वारा गठित भारतीय विकास परिषद् को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् निम्न प्रकार से गठित होगी :—

1. अध्यक्ष . एक गैर-सरकारी व्यक्ति, जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।

2. उपाध्यक्ष कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नयी दिल्ली

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य तीन संसद सदस्य (दो सदस्य लोक सभा से और एक राज्य सभा से) जिन्हें संसदीय कार्य विभाग नामजद करेगा।

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्य सरकारों के बागवानी/कृषि विभाग में कृषि विकास से संबंधित एक-एक प्रतिनिधि जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा :—

1. असम
2. आंध्र प्रदेश
3. हिमाचल प्रदेश
4. हरियाणा
5. जम्मू और काश्मीर
6. कर्नाटक
7. महाराष्ट्र
8. मध्य प्रदेश
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. तमिलनाडु
14. उत्तर प्रदेश
15. राजस्थान
16. अरुणाचल प्रदेश

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

1. योजना आयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
2. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
3. खाद्य विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
4. विस्तार आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली या उनका नामित व्यक्ति
5. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली या उनका नामित व्यक्ति
6. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर या उनका नामित व्यक्ति
7. निदेशक, बागवानी अनुसन्धान संस्थान, 255 अपर पैलेस आर्चेड, बंगलौर
8. नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
9. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्यों से प्रत्येक से उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेंगी :—

1. असम
2. आंध्र प्रदेश
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और काश्मीर
7. कर्नाटक
8. महाराष्ट्र
9. मेघालय
10. पंजाब
11. राजस्थान
12. तमिलनाडु
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

व्यापार के तीन प्रतिनिधि, जिनमें एक की सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय और दो की कृषि और सहकारिता विभाग करेगा ।

(च) उद्योग के प्रतिनिधि

फल और साग-सब्जी संसाधन उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(छ) कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(1) फार्मों में कार्यरत—एक

(2) कारखाने में कार्यरत—एक

(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे ।

4. सदस्य सचिव

निदेशक (बागवानी)
कृषि मंत्रालय,
कृषि और सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

5. प्रेक्षक (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु परिषद के विचार-विमर्श में सहायता देने के लिए उन्हें निरन्तर रूप से आमंत्रित किया जाएगा) ।

(1) अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(2) कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(3) वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।

(4) अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(5) सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली

(6) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, नई दिल्ली ।

(7) परियोजना समन्वयक (फल) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली ।

(8) परियोजना समन्वयक (साग-सब्जी) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली

(9) परियोजना समन्वयक (पुष्प विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली ।

(10) निदेशक, खुंभी अनुसन्धान प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन अथवा उनका प्रतिनिधि ।

(11) रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(1) फल और साग-सब्जियों (खुंभी सहित) तथा पुष्प-विज्ञान के संबंध में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना तथा फल और साग-सब्जियों के विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(2) फल और साग-सब्जियों तथा पुष्पों के उत्पादन और विपणन तथा फल और साग-सब्जी उत्पादकों तथा पुष्प-उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों में सरकार को सलाह देना ।

(3) देशी तथा निर्यात मण्डियों में फल और साग-सब्जियों तथा पुष्पों की मांगों पर विचार करना और उक्त मांगों को उपयुक्त विकास कार्यक्रमों के जरिए पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रबन्धों के संबंध में सरकार को सलाह देना ।

(4) फल और साग-सब्जी उत्पादन तथा पुष्प उत्पादन के संबंध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाए सुझाना ।

(5) फल और साग-सब्जियों तथा पुष्पोत्पादन के संबंध में अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाना तथा फल और साग-सब्जियों तथा पुष्पों की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और

(6) ऐसे अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जायें ।

3. परिषद् को विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति तथा तदर्थ समिति स्थापित करने और विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के अधिकार होंगे ।

4. फल और साग-सब्जियां उगाने वाले क्षेत्रों और व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर परिषद की समय-समय पर बैठकें होंगी और वह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी ।

5. परिषद् तब तक काम करेगी जब तक सरकार एक संकल्प द्वारा इसे भंग न कर दे। परिषद् के अध्यक्ष और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य-काल की अवधि परिषद में नामित होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी, बशर्ते कि इस अवधि को भारत सरकार के विशिष्ट आदेश द्वारा कम या बढ़ाया न जाए।

6. परिषद् में नामित संसद सदस्यों की संसद सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद् की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस मंत्रालय की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० सी० एम० आचार्य, अपर सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1983

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० प्र० परि०) नई दिल्ली के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए कार्य बल का गठन।

सं० एफ० 1-73/81-स्कूल-4—भारत सरकार द्वारा कार्य बल की स्थापना दिनांक 30 जनवरी, 1982 के संकल्प संख्या एफ० 1-73/81-स्कूल-4 द्वारा की गई थी अब कार्य बल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि को बढ़ाकर 15-7-83 तक करने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० सत्यम, संयुक्त सचिव

सिंचाई मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1983

संकल्प

सं० 18/1/80-हिन्दी—सिंचाई मन्त्रालय के दिनांक 26 नवम्बर, 1982 के संकल्प संख्या 18/1/80-हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने श्री नेमिचन्द जैन "भावुक" को सिंचाई मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अ० प्र० सिंह, संयुक्त सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1983

संकल्प

सं० 1-41/80-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—इस मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1981 के संकल्प संख्या 1-41/80-सी० एस०- डब्ल्यू० बी० में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार श्रीमती जयन्ती पटनायक, संसद सदस्य को डा० श्रीमती शैलारानी बरुआ के स्थान पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में तत्काल से उड़ीसा राज्य की प्रतिनिधि के रूप में नामित करते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य,
2. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन,
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,
4. राष्ट्रपति सचिवालय,
5. प्रधान मन्त्री का कार्यालय
6. योजना आयोग
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. मंत्रिमंडल सचिवालय
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
10. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली
11. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली
12. कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड। बोर्ड में श्रीमती जयन्ती-पटनायक का नामांकन इस शर्त पर होगा कि केन्द्रीय समाज कल्याण की सदस्या के रूप में उनको देय यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संसद (अयोग्यता—निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) में परिभाषित प्रतिपूरक भत्ते से अधिक नहीं होंगे।
15. सभी अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएं।

वेद मारवा, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 23 जून 1983

सं० क्यू-16012/2/83-डब्ल्यू० ई०—श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्यू०-16012/3/79-डब्ल्यू० ई०, तारीख 8/15 मई, 1981 में, जिसमें आम जनता के लिए पुनर्गठित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन अधिसूचित किया गया था, सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, डा० बी० एल० बधेहरा, को सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में नामित किया गया था, और

डा० बी० एल० बधेहरा ने सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० की सेवाएं छोड़ दी है,

अत:, अब आम जनता की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन, "चन्द्र लोक" 36, जनपथ, नई दिल्ली, के महासचिव श्री वासि आर० किदवई इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एम० एम० आर० जैदी, श्रम और रोजगार सलाहकार

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th June 1983

No. 45-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Mizoram Police :—

Names and rank of the officers

Shri Rokhuma, (*Posthumous*)
Havaldar,
1 Bn MAP,
Aizawl, Mizoram.

Shri Zaluta,
Constable,
1 Bn MAP,
Aizawl, Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Information was received that one SS 2 Lt .Zalawma and his party were staying in the Parvatui Jungle and were planning to creat violence and intimidating people by collecting money forcibly at the gun-point.

Accordingly MAP party under the command of Sub-Inspector Luaia Sailo was sent to Parvatui area on the 1st August, 1982 to apprehend SS 2 Lt. Zalawma and his party. Havaldar Rokhuma and constable Zaluta were members of the party. The MAP party reached Parvatui on the 3rd August, 1982 and started combing the area. During the combing operation, they received information that SS 2 Lt. Zalawma of the MNF and his party were taking shelter in the Jhum of one Sangtea near Parvatui. The Jhum was located in the thick jungle. It was quite a stupendous task for the party to reach the Jhum. But even then the members of the MAP party did not loose courage and organised themselves and went to the Jhum in the night of the 3rd August, 1982.

After reaching the Jhum, the MAP party surrounded the hut in which SS 2 Lt. Zalawma and his party were staying. After surrounding the Jhum, Sub-Inspector Luaia Sailo, Havaldar Rokhuma and constable Zaluta, inspite of knowing the risk involved to their lives, decided to enter the house. Havaldar Rokhuma, closely followed by Constable Zaluta, opened the door of the hut and entered first. As he entered the house, the MNF fired and the first shot hit his chest. At this time Constable Zaluta was well inside the room and was under heavy fire of the MNF. He did not loose courage and without caring for his personal life, continued to move forward with Havaldar Rokhuma and rendered him support. Ravaldar Rokhima, was badly wounded but he did not loose courage and bravely returned the fire. As a result of his hit SS 2 Lt. Zalawna was killed.

Meanwhile Sub-Inspector Luaia Sailo and Constable Zaluta were inside the Jhum the MAP party surrounding the Jhum also opened fire on the MNF. There was heavy exchange of fire between both the parties. Taking advantage of the wounded Havildar Rokhuma, the remaining MNF personnel managed to escape under the cover of darkness. Constable Zaluta opened fire on the fleeing MNF personnel and injured a few since the blood trail could be seen upto a certain distance. Havaldar Rokhuma succumbed to his bullet injury on his chest half an hour later. Havaldar Rokhuma and Constable Zoluta who opted to go with the party know that they were putting themselves in danger. But inspite of all this they put courage on duty.

In this encounter Shri Rokhuma and Shri Zaluta exhibited conspicuous gallantry, exemplary courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd August, 1982.

2—151 GI/83

No. 46-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :

Name and rank of the officer

Shri Vanlalchhuana,
Sub-Inspector of Police,
District Executive Force,
Aizawl, Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In the month of July, 1982 SI Vanlalchhuana received an information that a group of armed hostiles had entered Saitual village and with the help of their contact men in village was collecting taxes for MNF to strengthen the financial base of banned organisation which had been waging war against the Government. The collected money was to be handed over by these contact men at a predetermined place outside the village. He requested the assistance of armed Police party and took immediate steps to locate and ascertain the disposition of MNF. These contact men were immediately arrested and by their sustained interrogation the location of a particular Jhum hut, where the collected money to the tune of Rs. 20,000/- was to be handed over to the MNF, was ascertained. Having accomplished this, he took initiative and himself led the Police party to the place where the MNF were to come and collect the money.

The place where the MNF were taking shelter was about 3/4 Kms. from the village and in a thick jungle. Undaunted by the risk involved, Shri Vanlalchhuana led a small group of Policemen to the spot, knowing fully well that there was every chance of the informer being double agent and he could well be walking into a trap. Shri Vanlalchhuana and his group reached the spote late in the evening and started surrounding the area in which the MNF, fully armed, were taking shelter. Very stealthly Shri Vanlalchhuana moved around all the important cut-off points and put his men in position. After this, Shri Vanlalchhuana personally got up and challenged the MNF to surrender. The MNF, on realisation that the Police had surrounded the spot, immediately opened fire on Shri Vanlalchhuana, who was at that time the only exposed target, and the bullets missed him by a few inches. Undaunted by this sudden volley of fire, Shri Vanlalchhuana opened fire with his own weapon and encouraged his men to open fire and also to move into better positions. There was consistent firing from both sides, but Shri Vanlalchhuana dedication to duty and with no fear of consequences to his life, displayed qualities of leadership and encouraged his men to keep up the attack. The firing continued incessantly for sometime during which Shri Vanlalchhuana was moving from spot to spot, encouraging his men, and continued to fire back at the MNF. The danger to Shri Vanlalchhuana was all the more imminent since it was very dark and he could even have been caught in a cross fire. As a result of this, the Police were successful in shooting down one MNF and seized his weapons. As soon as the firing has abetted, Shri Vanlalchhuana entered the place where the MNF were firing from and made a brisk search and realised quickly that a man belonging to MNF had been shot dead and another had been severely wounded. One Bretta with 14 rounds was recovered from these hostiles. Once again with no regard to his personal safety, Shri Vanlalchhuana moved after the hostiles in a hot pursuit and although the MNF escaped taking cover of darkness yet the fierce Police onslaughts so disheartened the total group of the hostiles that the injured persons namely S/S Sgt. Zoramhmangaihia and S/S Pvt. Rosiama surrendered after a few days alongwith their leader S/S Lt. Vanlalfima.

During this encounter, Shri Vanlalchhuana, Sub-Inspector of Police, exhibited conspicuous bravery, courage, determination, leadership and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th July, 1982.

No. 47-Pres/83.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :

Name and rank of the officer

Shri Luaia Sailo Lushai,
Inspector of Police,
1 Bn. MAP,
Aizawl, Mizoram.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 16th July, 1982 reliable information was received that certain MNF/MNA personnel, fully equipped with arms, were forcibly collecting taxes in Saitual village and were planning to kidnap/assassinate Police Officers and Govt. officials residing in Saitual. Immediately on the same night, MAP party under the Command of Inspector Luaia Sailo Lushai, was sent to Saitual to apprehend these MNF/MNA personnel. On arrival at Saitual the MAP Party reported to the OC Police Station for chalking out the plan.

On the evening of the 17th July, 1982, the OC Police Station and Inspector Luaia Sailo Lushai, with their staff while patrolling in Saitual village caught hold of one Shri Lalvena who was moving under suspicious circumstances. The party immediately apprehended him and brought him to the Police Station for interrogation. On interrogation, Shri Lelvena revealed that VCP and Chairman VC of the Saitual village are to handover the collected taxes/money taken forcibly from the villagers of Saitual to the MNF/MNA that evening.

Immediately OC and Shri Luaia with L/NK Baiknunsanga, L/NK Laldanliana, Constable No. 245 Vaulallawma, Constable No. 626 Zochhuanthanga, Constable No. 276 Gopal Prasad Yadav and Constable No. 615 Lal Bahadur Chhetri alongwith some other Police Station Staff went to the VCP & Chairman VC and took them to show the place where they were supposed to handover the money to the MNF/MNA.

The VCP and VC Chairman took the Police party about 3 KM. away from Saitual village on Shifa Road. On reaching the spot, the Police party saw three MNF/MNA personnel in their full uniform standing with arms. These three hostiles were at an advantageous position, since they were standing on a dominating feature, and could cause maximum casualty on the Police party by opening fire.

The feature on which these hostiles were standing was inaccessible due to darkness and natural obstacles. Inspite of knowing fully that the Police party was in danger and exposed to fire, even then Inspector Luaia Sailo Lushai did not loose courage, and encouraged his party to move silently towards the hostiles by crossing all the natural barriers. Shri Luaia Sailo Lushai without caring for his own life led the party infront and started moving towards the direction where the hostiles were standing. As soon as the hostiles saw Inspector Luaia Sailo Lushai, who was moving right in front of the Police party the hostiles opened fired at them. The Police party under the shower of firing from the hostiles also returned the fire in self defence. As a result of that encounter, one hostile was shot dead whose dead body was later identified as SS Pvt. Lalthankima One Beretta, 14 live rounds, one Magazine and three fired empty cases were recovered near the dead body of the hostile. In the encounter the other two hostiles were also seriously injured and they managed to escape under cover of darkness and thick jungle. Blood trail could also be seen upto a certain distance.

During the encounter with the hostiles, Shri Luaia Sailo Lushai, Inspector, exhibited conspicuous gallantry, leadership, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th July, 1982.

No. 48-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Ravinder Kumar,
Security Guard No. 8005247,
CISF Unit,
Bokaro Steel Limited,
Bokaro Steel City.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 1st/2nd February, 1982, Shri Ravinder Kumar, Security Guard No. 8005247, was detailed to perform guard duty at Electrical Sub-Store (Construction), Coke Ovens from 21.30 hours to 5.30 hours. The Sub-Store is located in an isolated place in the plant area. The lighting arrangement in the plant area was not satisfactory. Shri Ravinder Kumar was armed with a lathi only.

At about 01.00 hours Shri Ravinder Kumar notice a few criminals armed with deadly weapons approaching the Electrical Sub-Store. He challenged them and offered resistance in order to fail their attempt to commit crime. The criminals threatened him with dire consequences and threw an acid bomb on Shri Ravinder Kumar. The bomb hit him on the shoulder and exploded causing severe burn injuries to him. He ran asking for help while chasing the criminals in the direction of the Area Repair Shop which caused the criminals to take to their heels without stealing any property inspite of their large number. While crying for help he chased the criminals and also hit one of them with the lathi.

Shri Ravinder Kumar, Security Guard thus exhibited courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd February, 1982.

S. NILAKANTAN,
Deputy Secy. to the President.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

New Delhi, the 27th June 1983

RESOLUTION

No. 20(6)/83-Chem. III.—The Government of India have had been receiving numerous representations from the manufacturers and consumers of soda ash on various aspects of the capacity, production, imports, distribution and pricing of soda ash. The Government of India have now resolved to constitute a High Powered Committee with the composition given below to go into the problems and to take appropriate decisions/recommendations :

COMPOSITION

Chairman

1. Shri Rama Chandra Rath,
Minister of State for
Chemicals & Fertilizers,
New Delhi.

Members

2. Shri D. S. Seth,
Chairman,
Tata Chemicals Limited,
Bombay.

3. Shri O. P. Puranmalka,
Joint President,
Saurashtra Chemicals,
Porbandar, Gujarat.

4. Shri A. C. Muthia,
President,
Tuticorin Alkali Chemicals
and Fertilizers, Tuticorin,
Tamil Nadu.

5. Shri B. K. Gupta,
President,
All India Glass Manufacturers' Federation,
New Delhi.

6. Shri S. S. Singhania,
President,
All India Silicate Manufacturers' Association,
Calcutta.

7. Shri M. N. Das,
General Secretary,
All India Washermen's Federation,
New Delhi.

8. Shri S. Ramanathan,
Secretary, Ministry of
Chemicals & Fertilizers,
New Delhi.

9. Dr. A. K. Ghosh,
Chairman,
Bureau of Industrial Costs and Prices,
New Delhi.

10. Shri K. V. Ramanathan,
Secretary,
Planning Commission,
New Delhi.

11. Shri C. K. Swaminathan,
Member (Traffic),
Railway Board,
New Delhi.

12. Shri M. Satyapal,
Secretary (Technical Development)
and Director General of
Technical Development,
New Delhi.

13. Shri G. S. Sawhney,
Chairman,
Central Board of Excise & Customs,
Ministry of Finance
(Deptt. of Revenue),
New Delhi.

14. Shri P. C. Jain,
Chief Controller of Imports & Exports,
Ministry of Commerce,
New Delhi.

15. Shri S. M. Dugar,
Member,
Company Law Board,
Ministry of Law,
Justice and Company Affairs
(Deptt. of Company Affairs),
New Delhi.

16. Shri Pratap Narayan,
Executive Director,
Fertilizer Industry Coordination Committee,
Ministry of Chemicals and Fertilizers,
New Delhi.

Member Secretary

17. Shri Shyamal Ghosh,
Joint Secretary (C&A),
Ministry of Chemicals and Fertilizers,
New Delhi.

2. The terms of reference of the High Powered Committee are as follows :

(i) To examine, in depth, in respect of soda ash, the indigenous demand, the capacities licensed/approved, the status of implementation of expansion of capacities approved and the reasons, if any, for non-implementation of full expansion capacities; and to make suitable recommendations on all these issues;

(ii) to examine, in depth, the constraints and the present levels of indigenous production of soda ash and to recommend suitable measures to augment its production;

(iii) to critically examine the marketing and distribution network of soda ash, its efficiency and to recommend suitable measures for its easy availability to the consumers, particularly the tiniest consumers such as Dhobies;

(iv) to go into question of import policy and he duty structure such as customs duty, excise duty and other duties and levies and to recommend appropriate measures thereon;

(v) to examine in detail the cost and price structure of indigenously produced soda ash and to fix the price(s) thereof, including the price structure of imported soda ash, keeping in view the twin objectives of its easy availability and reasonable price.

(vi) to examine, in detail the cost and price structure of the major products of the industrial users of soda ash on the basis of the price(s) of soda ash as fixed by the Committee;

(vii) any other related matter which the Chairman may deem fit.

3. The High Powered Committee shall be free to determine the system and method of the working of the Committee.

4. The Committee may, with the approval of the Chairman, co-opt such eminent persons/experts as it considers necessary as members of the Committee.

5. The Committee is required/expected to complete the task assigned to it and present its report within a period of three months from the first sitting of the Committee.

6. The headquarters of the Committee would be New Delhi but the Committee may, at the discretion of the Chairman, hold such sittings/visits as may be considered necessary at/to any place in the country.

7. The experts co-opted by the Committee may be paid suitable honorarium as may be decided by Government.

8. The travelling allowance/daily allowance of the official members of the Committee would be borne by their respective organisations and that of the non-official members will be borne by the Ministry of Chemicals and Fertilizers on the basis of standard terms and conditions applicable to Grade-I Officers of the Government of India.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the resolution be forwarded to all Ministries/Departments of the Government of India and to the Chief Secretaries of all State Governments and Union Territories.

S. RAMANATHAN, Secy.
to the Govt. of India.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRICULTURE & COOPN.)

New Delhi, the 23rd June 1983

RESOLUTION

No. 9-2/81-C. A. I.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Horticulture Development Council constituted vide Resolution No. 48012/7/76-C.A.I. dated the 19th November, 1977. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. *Chairman*

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II. *Vice-Chairman*

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, New Delhi.

III. *Members*

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Horticulture/Agriculture dealing with Horticulture development to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Assam
(ii) Andhra Pradesh
(iii) Himachal Pradesh
(iv) Haryana
(v) Jammu & Kashmir

(vi) Karnataka
(vii) Maharashtra
(viii) Madhya Pradesh
(ix) Manipur
(x) Meghalaya
(xi) Orissa
(xii) Punjab
(xiii) Tamil Nadu
(xiv) Uttar Pradesh
(xv) Rajasthan
(xvi) Arunachal Pradesh

C. *Representatives of Central Government*

(a) One representative of the Planning Commission, New Delhi
(b) One representative of the Ministry of Commerce, New Delhi.
(c) One representative of the Department of Food, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.
(d) Extension Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi or his nominee.
(e) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.
(f) Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore or his nominee.
(g) Director, Institute of Horticulture Research, 255, Upper Palace Orchards, Bangalore.
(h) One representative of the Department of Civil Supplies, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.
(i) Chairman, Agricultural Prices Commission, New Delhi.

D. *Representatives of Growers*

One representative of growers to be nominated by the respective State Governments from each of the following States :

(i) Assam
(ii) Andhra Pradesh
(iii) Gujarat
(iv) Haryana
(v) Himachal Pradesh
(vi) Jammu & Kashmir
(vii) Karnataka
(viii) Maharashtra
(ix) Meghalaya
(x) Punjab
(xi) Rajasthan
(xii) Tamil Nadu
(xiii) Uttar Pradesh
(xiv) West Bengal

E. *Representatives of Trade*

Three representatives of Trade including one to be recommended by the Ministry of Commerce and two by the Department of Agriculture and Co-operation.

F. *Representative of Industry*

Three representatives of Fruits and Vegetables Processing Industry.

G. *Representative of Workers*

(i) Engaged in farms — One
(ii) Engaged in factory — One

H. Such additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.

IV. *Member Secretary*

The Director (Horticulture),
Ministry of Agriculture,
Department of Agriculture and Co-operation,
Krishi Bhavan, New Delhi.

V. *Observers*

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

(i) Chairman, State Trading Corporation, New Delhi, or his representative.
(ii) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Rural Development, New Delhi, or his representative.
(iii) Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
(iv) Economic & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi, or his representative.
(v) Secretary, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
(vi) Managing Director, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., New Delhi.
(vii) Project Coordinator (Fruits), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
(viii) Project Coordinator (Vegetables), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
(ix) Project Coordinator (Floriculture), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
(x) Director, Mushroom Research Laboratory, H. P. Agricultural University, Solan, or his representative.
(xi) One representative of the Ministry of Railways.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider the development programmes in the Central and States Sectors in respect of Fruits and Vegetables (including Mushroom) and Floriculture, review progress thereof from time to time and recommend measures for the development of Fruits and Vegetables and Floriculture;
(ii) to consider problems relating to the production and marketing of Fruits and Vegetables and Flowers and remunerative prices to Fruit and Vegetables growers and Floriculturists and advise Government in these matters,
(iii) to consider demands for Fruits and Vegetables and Flowers in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;
(iv) to consider the special needs of small and marginal farmers in respect of fruits and vegetables production and floriculture and suggest suitable measures for meeting the same;
(v) to facilitate coordination between research and development programmes relating to fruits and vegetables and floriculture and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of fruits and vegetables and flowers; and
(vi) to advise Government on such other connected Matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and *ad-hoc* Committee to look into specific issues and to co-opt members such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which fruits and vegetables are grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. S. ACHARYA, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th June 1983

RESOLUTION

Sub:—Setting up of a Task Force to consider restructuring of the National Council of Education Research and Training (NCERT), New Delhi.

No. F. 1-73/81-Sch-4.—A Task Force was set up by the Govt. of India vide Resolution No. F. 1-73/81-Sch. 4 dated the 30th January, 1982. It has been decided to grant extension of time upto 15-7-1983 for the submission of the report by the Task Force.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments and Union Territory Administrations and all Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazettee of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 21st June 1983

RESOLUTION

No. 18/1/80-Hindi.—In continuation of Ministry of Irrigation Resolution. No. 18/1/80-Hindi dated 26th November, 1982 the Government of India have decided to nominate Shri Name Chand Jain "Bhavuk" as a member of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Irrigation.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat. Department of Parliamentary Affairs. Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptrollor and Auditor General of India. Accountant General Central Revenues and All Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. P. SINH, Jt. Secy

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 24th June 1983

RESOLUTION

No. 1-41/80-CSWB.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1-41/80-CSWB dated 28th August, 1981, the Government of India is pleased to nominate Smt. Jayanti Patnaik, Member of Parliament, as representative of the Orissa State on the General Body of the Central Social Welfare Board *vice* Dr. Smt. Belarani Dutta, with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution the communicated to :—

1. All members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministeries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. Department of Company Affairs, New Delhi.
11. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi. The nomination of Smt. Jayanti Patnaik, M.P. on the Board is subject to the condition that the TA/DA that would be payable to her as member of the Central Social Welfare Board should not exceed the Compensatory Allowance as defined in Section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. MARWAH, Jt. Secy

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION
(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 23rd June 1983

No. Q-16012/2/83-WE.—Whereas in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 8th/15th May, 1981 notifying the composition of the reconstituted Central Board for Workers Education, for information of the Public, Dr. B. L. Wadehra, Chairman and Managing Director, Central Coal-fields Ltd, Darbhanga House, Ranchi was nominated on the Central Board for Workers Education to represent the Standing Conference of Public Enterprises; and

Whereas Dr. B. L. Wadehra, has since left the services of the Central Coal-fields Ltd.,

Now, therefore, it is notified for information of the public that Shri Waris R. Kidwai, General Secretary, Standing Conference of Public Enterprises "Chanderlok" 36, Janpath, New Delhi shall serve on the Central Board for Workers Education representing the Standing Conference of Public Enterprises with effect from the date of issue of this Notification.

S. M. R. ZAIDI
Labour & Employment Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983